

भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 12 / 2015-2020

दिनांक: 1 जून, 2022

विषय: 01.05.2022 से वित्त अधिनियम, 2021 के साथ परिशिष्ट 4द का संरेखण।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा परिशिष्ट 4द को अधिसूचित करती है जो वित्त अधिनियम, 2022 के साथ संरेखित है। यह परिशिष्ट 4द दिनांक 01.05.2022 से प्रभावी होगा।

2. दिनांक 01.05.2022 से लागू यह नया परिशिष्ट 4द, जिसमें पात्र आरओडीटीईपी निर्यात मर्दे, दरें और प्रति इकाई उच्चतम मूल्य सीमाएं, जहां भी लागू हों, 'रेग्युलेटरी अपडेट्स> आरओडीटीईपी' लिंक के अंतर्गत डीजीएफटी के पोर्टल www.dgft.gov.in पर उपलब्ध है।

इस अधिसूचना का प्रभाव: वित्त अधिनियम, 2022 के परिणामस्वरूप, सीमा शुल्क विभाग की प्रशुल्क अनुसूची में कतिपय परिवर्तन दिनांक 01.05.2022 से लागू होंगे। तदनुसार संरेखण के पश्चात एक नई आरओडीटीईपी अनुसूची (परिशिष्ट 4द) को दिनांक 01.05.2022 से कार्यान्वयन हेतु अधिसूचित किया जा रहा है।

संतोष कुमार सारंगी
1.6.2022

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई-मेल: dgft@nic.in

(फा.सं. 01/61/180/155/एएम-21/पीसी-3 से जारी)